कार्यालय, रक्षा लेखा नियंत्रक, नं. 1, स्टाफ रोड, सिकंदराबाद - 009
OFFICE OF THE CONTROLLER OF DEFENCE ACCOUNTS
No.1, STAFF ROAD, SECUNDERABAD-500009
दूरभाष/TELE: 040-27843385 फैक्स/FAX:040-27817275

कार्यालय आदेश भाग 1 सं./ Pt I OO No. 07 Date/ दिनांक : 13.07.2020

विषय : आम जन से पत्राचार के संबंध में सरकारी नियमावली/दिशानिर्देश - राजभाषा अधिनियम के बारे में ।

Sub : Office Manual/Guidelines Regarding Correspondence with General Public - Official Language Act - Reg.

****

उपर्युक्त विषय पर रक्षा लेखा महानियंत्रक, दिल्ली छावनी के दिनांक 03.07.2020 के पत्रांक प्रशा/शिकायत सेल/ई-मेल पत्राचार/2020 के अधीन प्राप्त प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के दिनांक 29.05.2020 के का.ज्ञा. सं. के-11022/08/2020-(लो.शि.नीति) (6581) की प्रति सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु संलग्न की जाती है ।

A copy of Department of Administrative Reforms and Public Grievances O.M. No. K-11022/08/2020-(P.G.Policy) (6581) dated 29.05.2020 received under CGDA, Delhi Cantt. letter no. AN/Complaint Cell/E-mail Corr/2020 dated 03.07.2020 is enclosed herewith for information and necessary action.

हस्ता/-
[के. वेंकट राव]
रक्षा लेखा नियंत्रक

मूलप्रति : हि0क0/2193/रा0भा/आदेश/जि-1
सवितरण : मानक सूची के अनुसार
अतिरिक्त : 5 प्रतियाँ

लेखा अधिकारी [प्रशा0]

कार्यालय, रक्षा लेखा महानियंत्रक,
उलान बटार मार्ग,पालम, दिल्ली छावनी- 110010
Office of the Controller General of Defence Accounts,
Ulan Batar Road, Palam, Delhi Cantt.-110010
फैक्स: - 25674806, दूरभाष: - 25665581, 25665745

प्रशासन - शिकायत

संख्या: संख्या प्रशा./शिकायत सेल/ई-मेल/पत्राचार/2020 दिनांक: 03/07/2020

सेवा में,

सभी रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक/वित्त एवं लेखा नियंत्रक(निर्माणी)/प्रधान एकीकृत वित्त सलाहकार/ रक्षा लेखा नियंत्रक/ एकीकृत वित्त सलाहकार

विषय: आम जन से पत्राचार के संबंध में सरकारी नियमावली/ दिशानिर्देश - राजभाषा अधिनियम के बारे में|

उपरोक्त के संबंध में प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग ने दिनांक 29.05.2020 के फा. सं.के -11022/08/2020-(लो. शि. -नीति) (6581) द्वारा निम्नलिखित निर्देश दिये हैं: -

(क) सभी मंत्रालयों / विभागों / संगठनों से अनुरोध है कि शिकायतों का जवाब देते समय राजभाषा अधिनियम, 1963 के तहत राजभाषा नियमावली 1976 के नियम 6 के प्रावधानों का कड़ाईपूर्वक पालन किया जाए| इसके अतिरिक्त यह बल दिया जाता है कि यदि शिकायत हिन्दी में दर्ज की जाती है, तो जबाव भी हिन्दी में ही दिया जाएगा|

(ख) इसके अतिरिक्त, यह भी सूचित किया जाता है कि सीपीजीरैम्स में लोक शिकायत अधिकारी द्वारा अंतिम जबाव हिन्दी भाषा में प्रस्तुत करने की सुविधा है|

2. अत: सभी अधीनस्थ कार्यालयों से आग्रह है उपरोक्त निर्देशों का पालन सुनिश्चित करें|

3. प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के दिनांक 29.05.2020 के फा. सं.के -11022/08/2020-(लो. शि. -नीति) (6581) की प्रति संगलन है|

वरिष्ठ संयुक्त रक्षा लेखा महानियंत्रक (प्रशासन) द्वारा अनुमोदित|

(विनोद कुमार)
रक्षा लेखा सहायक महानियंत्रक (प्रशा.) एवं शिकायत अधिकारी

प्रतिलिपि -

सूचना प्रौधोगिकी एवं प्रणाली विंग: (स्थानीय) — आपसे आग्रह है कि परिपत्र को कार्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करें।

(विनोद कुमार)
रक्षा लेखा सहायक महानियंत्रक (प्रशा.) एवं शिकायत अधिकारी

English Translation

OFFICE OF THE CONTROLLER GENERAL OF DEFENCE ACCOUNTS
Ulan Batar Road, Palam, Delhi Cantt. - 110 010
Fax: 25674806 Phone: 25665581, 25665745

ADMIN-COMPLAINTS

No. AN/Complaint Cell/Email Corr/2020 Date: 03.07.2020

To
All PCsDA/PIFAs/ CsDA/IFAs

Sub: Office Manual/Guidelines Regarding Correspondence with General Public - Official Language Act - Reg.

*****

The Department of Administrative Reforms and Public Grievances has given the following directions vide OM no. 11022/08/2020-(PG Policy) (6581) dated 29.05.2020 on the above subject:

(a) All ministries/departments/organisations are requested to strictly follow the provisions of Rule 6 of Official Language Rules, 1976 under the Official Language Act, 1963 while replying to the complaints. Apart from this, it is also emphasized that if the complaint has been filed in Hindi, the reply must be sent in Hindi only.

(b) Further, it is also informed that there is a facility to submit the reply in Hindi Language by the Public Grievance Officer in CPGRAMS.

2. Therefore, all sub-offices are requested to ensure compliance of the above directions.

3. A copy of OM No. 11022/08/2020-(PG Policy) (6581) dated 29.05.2020 of Department of Administrative Reforms and Public Grievances is enclosed.

Approved by Sr. Jt.CGDA (AN).

Sd/--
(Vinod Kumar)
Asst. CGDA (AN) & Grievance Officer

Copy to:
IT & Systems Wing : Local — to kindly upload the circular in the website of the office.

Sd/--
(Vinod Kumar)
Asst. CGDA (AN) & Grievance Officer

फा.सं.के-11022/08/2020-(लो.शि.-नीति) (6581)
भारत सरकार
प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग
(लो.शि प्रभाग)

* * *

5वां तल, सरदार पटेल भवन,
संसद मार्ग, नई दिल्ली,
दिनांक : 29 मई, 2020

कार्यालय ज्ञापन

विषय: आम जन से पत्राचार के संबंध में सरकारी नियमावली/ दिशानिर्देश - राजभाषा अधिनियम के बारे में।

प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग को प्रधानमंत्री कार्यालय के माध्यम से शिकायत प्राप्त हुआ है, जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि शिकायतकर्ता को अपनी शिकायत का जवाब अंग्रेजी में मिला है, हालांकि उसने अपनी शिकायत हिंदी में प्रस्तुत की है और वह अंग्रेजी समझने में सक्षम नहीं है।

अत: सभी मंत्रालयों/ विभागों/ संगठनों से अनुरोध है कि शिकायतों का जवाब देते समय राजभाषा अधिनियम, 1963 के तहत राजभाषा नियमावली 1976 के नियम 6 के प्रावधानों का कड़ाईपूर्वक पालन किया जाए। इसके अतिरिक्त यह बल दिया जाता है कि यदि शिकायत हिंदी में दर्ज की जाती है, तो जबाव भी हिंदी में ही दिया जाएगा।

इसके अतिरिक्त, यह भी सूचित किया जाता है कि सीपीजीरैम्स में लोक शिकायत अधिकारियों द्वारा अंतिम जबाव हिंदी भाषा में प्रस्तुत करने की सुविधा है।

प्रिस्का
29/5/20

[प्रिस्का मैथ्यू]
उप सचिव, भारत सरकार
टेलीफोन: 011-23401429

प्रति

1. नोडल अधिकारी (पीजी), सभी मंत्रालय/ विभाग।
2. एनआईसी, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग को pgportal.gov.in पर अपलोड करने हेतु। 29/5/20

English Translation

No. 11022/08/2020-(PG Policy) (6581)
GOVERNMENT OF INDIA
DEPARTMENT OF ADMINISTRATIVE REFORMS AND PUBLIC GRIEVANCES
(Public Grievances Division)

5th Floor, Sardar Patel Bhavan,
Parliament Street, New Delhi
Date: 29th May, 2020

OFFICE MEMORANDUM

Sub: Office Manual/Guidelines Regarding Correspondence with General Public - Official Language Act - Reg.

A complaint has been received in Department of Administrative Reforms and Public Grievances through the Prime Minister's office wherein it has been stated that the complainant has received the reply to his complaint in English whereas he had submitted in complaint in Hindi and he is unable to understand English.

Therefore, all ministries/departments/organisations are requested to strictly follow the provisions of Rule 6 of Official Language Rules, 1976 under the Official Language Act, 1963 while replying to the complaints. Apart from this, it is also emphasized that if the complaint has been filed in Hindi, the reply must be sent in Hindi only.

Further, it is also informed that there is a facility to submit the reply in Hindi Language by the Public Grievance Officer in CPGRAMS.

Sd/--
(PRISKA MATHEW)
Dy.Secretary, GOI
Phone: 011-23401429

Copy to:

1. Nodal Officer (PG) - All Ministries/Departments.
2. NIC : to upload in pgportal gov.in